रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122022-240878 CG-DL-E-08122022-240878

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5465] No. 5465] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2022/अग्रहायण 16, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2022/AGRAHAYANA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5697(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-42 (वि.कोटा बाईपास रोड) के (डिज़ाइन कि.मी. 333.400 से कि.मी. 340.900) तक प्रारम्भ होने कि.मी. 333.400 का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-42 और समापत होने के कि.मी. 340.900 के का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-42 निर्माण (दो लेन का बनाना / चार लेन का बनाना आदि) प्रबंधन, प्रचलन और आरक्षण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

8126 GI/2022 (1)

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-42 (वि.कोटा बाईपास रोड) के (डिज़ाइन कि.मी. 333.400 से कि.मी. 340.900) तक प्रारम्भ होने कि.मी. 333.400 का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-42 और समापत होने के कि.मी. 340.900 के का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-42 तक के भूखण्ड पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	आफिसर,	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH42 के कि.मी. 333.4 से 340.9 तक	कर्नाटक	कोलर	केजीएफ	1 कदिरगनकुप्पा 2 पूगनहल्ली 3 ददेनहल्ली 4 दुरगेपल्ली 5 जिडमेकनहल्ली 6 तातेहल्ली 7 पंतनहल्ली 8 एनजि हुलकुरु

[फा. सं. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-l, Dt.02.06.2022] राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2022

S.O. 5697(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (2 Lane/4 Lane) maintenance, management and operation of V. Kota Bypass on NH-42, Design Chainage from Km. 333/400 to Km. 340/900 of NH-42 i.e., Originating at Km. 333/400 of NH-42 and terminates at Km. 340/900 of NH-42 in Kolar District in the State of KARNATAKA.

SCHEDULE

Acquisition of Land in respect of V.Kota Bypass on NH-42, Design Chainage from Km. 333/400 to Km. 340/900 of NH-42 i.e., Originating at Km. 333/400 of NH-42 and terminates at Km. 340/900 of NH-42 in Kolar District in the State of KARNATAKA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Special Land Acquisition Officer, NH Bangalore	333.4KM To 340.9KM	KARNATAKA	KOLAR	KGF	1 Kadariganakuppa 2 Pooganahalli 3 Dadenahalli 4 Durgepalli 5 Jedamakanahalli 6 Thatehalli 7 Pantanahalli 8 NG Hulakuru

[F. No. RW/NH-12037/11/2022-23/AP/South-1, Dt.02.06.2022]

RAJESH GUPTA, Director